

कार्यालय

क्रमांक:-.....

दिनांक:-.....

कार्यालय आदेश

श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक).....के आदेश
क्रमांक-..... दिनांक-.....की अनुपालना में
..... कनिष्ठ सहायक की सेवा दिनांक-..... को 2 वर्ष का परीक्षाकाल
संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं वित्त विभाग, राजस्थान
सरकार की पालना में दिनांक-..... से स्थाई किया जाता है।

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के अन्तर्गत नियत वेतन श्रृंखला
लेवल-05 में पे-मेट्रिक्स अनुसार देय प्रारम्भिक वेतन 20800 एवं नियमानुसार अन्य भत्तों की
स्वीकृति प्रदान कर इनका वेतन निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है।

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम व पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	स्थाईकरण तिथि	पूर्व का वेतन (परीक्षाकाल)	स्थाईकरण पर वेतन निर्धारण	
						लेवल	वेतन
1							

नोट:- आगामी वेतन वृद्धि दिनांक-..... होगी।

प्रधानाचार्य

क्रमांक:-

दिनांक:-.....

1. श्रीमान् निदेशक महोदय माशि बीकानेर।
2. श्रीमान् संयुक्त निदेशक महोदय माशि कोटा।
3. श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय.....
4. श्रीमान् मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महोदय
5. श्रीमान् उपकोषाधिकारी महोदय
6. बिल/लेखा शाखा।
7. सम्बन्धित श्री..... कनिष्ठ सहायक ।
8. रक्षित प्रति।

प्रधानाचार्य